शर्त के अधीन यदि वहां नये पक्के कुंए, नलकूप आदि लगा कर भूमि की सिचाई के लिए उन्नत और पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है ।

9. जिन गांवों में 1976–77 की फसल के मौसम में कीड़े लगने आदि दैवी प्रकोप के कारण पोस्त की खेती को हानि पहुंची हो और ऐसी हानि की काश्तकारों द्वारा विधिवत रिपोर्ट की गई हो और/विभागीय अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की गई हो, बशर्ते कि उन काश्तकारों ने 1976–77 में प्रति हैक्टेयर 12 किलोग्राम से कम अफीम नहीं दी हो । इस खण्ड के प्रयोजन के लिए इस प्रकार के गांव की हकदारी का निर्णय उप-नार्कोटिक्स आयुक्त द्वारा किया जायेगा ।

10. जिन गांवों में 1976–77 में पोस्त फसल को भारी क्षति पहुंची थी और नार्कोटिक्स आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि फसल को वास्तव में क्षति पहुंची थी तो नार्कोटिक्स ऐसे गांवों के काश्तकारों को लाइसेंस दे सकता है भले ही उनकी पैदावार कुछ भी रही हो ।

(स्पष्टीकरण—अफीम की ऊपर उल्लिखित मात्रा की संगणना 70 डिग्री घनत्व पर की जायेगी)

III. ख–ऊपर दी हुई श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में आने वाले काश्तकार को, निम्नलिखित शर्तों में से जो भी शर्त उस पर लागू होती हो, वह पूरी करनी होगी :

(क) उक्त काश्तकार ने, पोस्त की खेती के लिए उसको नियत किये गये रकबे से अधिक रकबे में जानबूझ कर पोस्त की काश्त नहीं की थी ।

(ख) काश्तकार ने किसी भी समय अवैध खेती नहीं की थी अथवा वह कभी भी अफीम कानूनों के अन्तर्गत किसी भी अन्य अपराध में ग्रस्त नहीं पाया गया था ।

(ग) 1976–77 के मौसम में उसने विभाग के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया था अथवा अपनी अफीम में जानबूझ कर मिलावट नहीं की थी ।

IV. लाइसेंस देने के इन आदेशों का, नार्कोटिक्स विभाग के इस अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह जब भी उचित समझे, अफीम अधिनियम, 1957 की धारा के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी का भी लाइसेंस रोक सकता है ।

दालें और तिलहन खरीदने और उनका भण्डार करने का प्रस्ताव

5035. **श्री रुद्र सेन चौधरी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दालें और तिलहन खरीदने और उनका भण्डार करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा; और

(ग) क्रय मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने दालों तथा तिलहनों की कानूनी वसूली करने का कोई निर्णय नहीं किया है । तथापि सरकार ने चने, मूंगफली, सोयाबीन और सूर्यमुखी बीज के समर्थन मूल्य नियत किए हैं । सरकार ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी

संघ को कुछ बफर स्टाक बनाने के लिए दालों तथा मूंगफली की कुछ व्यापारिक खरीदारी करने को कहा है । वे प्राथमिक मण्डियों के चालू भावों पर अपने व्यापारिक विवेक के अनुसार अलग-अलग मूल्यों पर इनकी खरीद कर रहे हैं ।

Purchase of Sugar by Iran

5036. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether Iran has refused to purchase sugar it had contracted to buy from India; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto and reasons put forward by Iran for not buying the commodity ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) and (b). Iran has not refused to purchase any quantity of sugar contracted by them. Under the Memorandum of Understanding signed between the Government of India and the Government of Iran, a quantity of Rs. 1.20 lakhs MT sugar was to be supplied to Iran on credit by December, 1977. Iranians, however, later wanted sugar conforming to Paris grade 6 in colour to be supplied to them under the Agreement. As the Indian sugar does not match Paris grade 6, Iran desired that even for the value of sugar, cement may be supplied to them under the Memorandum of Understanding which has been agreed to by the Government of India. In view of the shortage of cement in the country, the question of supply of cement to Iran by purchasing from third countries, is under consideration of the two governments.

कृषि प्रदर्शनी, 1977 में हिन्दी

5037. **श्री एस० एस० सोमानी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या प्रगति मैदान में आयोजित कृषि प्रदर्शनी, 1977 में राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को समुचित स्थान नहीं दिया गया;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश पैवेलियनों में केवल अंग्रेजी का ही उपयोग किया गया है और गरीब किसानों को हिन्दी में जानकारी नहीं मिल पाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग). एक्स्पो—77 में हिन्दी भाषा का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया था प्रदर्शित वस्तुओं के विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए गए थे । भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा जारी की गई प्रचार सामग्री हिन्दी और अंग्रेजी तथा कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में जारी की गई थी । मेले में स्थित गाइड हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में धाराप्रवाह बोल सकते थे और प्रदर्शित वस्तुओं के सम्बन्ध में दोनों भाषाओं तथा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में समझाने की क्षमता रखते थे । किसानों को प्रदर्शित वस्तुएं समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई । उन मामलों में जहां प्रदर्शित वस्तुएं जटिल स्वरूप की थीं किसानों को ऐसी प्रदर्शित वस्तुओं के बारे में सावधानी से समझाया गया ।

काफी की उपज

5038. **श्री नटवर लाल बो० परमार : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने काफी की फसल के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) क्या आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथ अन्डमान द्वीप में काफी की फसल के अनुकूल जलवायु होते हुए भी वहां पर काफी